

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
03/02/2025 17:45 hrs
2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))
1 PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 7
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/02/2025 Time (समय): 17:00 hrs
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date and Time (दिनांक और समय): 03/02/2025 17:15 hrs
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 65 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र जीन्द
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): राजेन्द्र
(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री लखीराम
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1963 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g)



ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)

ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव भावड, त0 गोहाना, जिला सोनीपत, BARAUDA, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव भावड, त0 गोहाना, जिला सोनीपत, BARAUDA, SONIPAT, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9872090775

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	उप निरीक्षक राजकुमार			1. थाना बरोदा जिला सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,
इन्सपेक्टर साहब,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जीन्द।
श्रीमान जी,

निवेदन यह है की मैं राजेन्द्र पुत्र श्री लखीराम वासी गांव भावड तहसील गोहाना जिला सोनीपत का रहने वाला हूँ जो मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और अब मकान न0 1175 फेस-1 राम दरबार चण्डीगढ़ में रह रहा हूँ। दिनांक 28.09.24 को

मेरी भांजी नैना पुत्री इन्द्र वासी गांव पलडी हमारे गांव भावड में मेरे भाई विनोद के पास आयी हुई थी उसी दिन मेरी भांजी के साथ गांव के ही आतीश पुत्र सुरेन्द्र ने छेड़खानी की जिसको लेकर दिनांक 30.09.2024 को मेरे भाईयों व आतीश के परिवार के बीच झगडा हो गया, जिसमें मेरे भाईयों जोगेन्द्र व विनोद व मेरे भतीजे सौरभ, रमन पुत्र जोगेन्द्र के खिलाफ मुकदमा न0 287 दिनांक 01.10.24 धारा 109(1), 115, 118(1), 126, 3(5), 351(2) वी0एन0एस0 थाना बरोदा जिला सोनीपत में दर्ज हो गया जिसकी तफतीश एस0आई0 राजकुमार थाना बरोदा द्वारा की जा रही है। जिसमें मेरे भाईयों व भतीजों चारों को गिरफ्तार करके जिला जेल सोनीपत में बन्द करवाया हुआ है और हमने भी एक अलग केस मेरी भांजी के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा न0 352 दिनांक 10.12.24 धारा 115, 3(5), 333, 351 (2) वी0एन0एस0 व 8 पोक्सो एक्ट थाना बरोदा में दर्ज करवाया हुआ है। जिसकी तफतीश भी एस0आई0 राजकुमार कर रहा है। जो इस मुकदमा में किसी भी आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो इन दोनों केसों के सम्बन्ध में दिनांक 25.01.25 को मैं एस0आई0 राजकुमार से थाना बरोदा में मिला तो उस ने मेरे भाईयों व भतीजों की जमानत करवाने व हमारे वाले केस में आरोपियों को गिरफ्तार करने की एवज में 20000 रुपये रिश्त की मांग की जो मैं रिश्त की 20,000 रुपये की राशि एस0आई0 राजकुमार को देना नहीं चाहता और यदि मैं रिश्त के 20,000 रुपये नहीं दूंगा तो वह मेरे भाईयों व भतीजों की जमानत नहीं होने देगा व मेरी भांजी वाले केस में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेगा। कृपा करके इस एस0आई0 राजकुमार थाना बरोदा के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। मैंने दिनांक 25.01.25 को रिश्त की मांग बारे एस0आई0 राजकुमार थाना बरोदा की आडियो रिकार्डिंग की हुई है। जिसको बाद में पेश कर दूंगा। हस्ता

हिन्दी राजेन्द्र

प्रार्थी

राजेन्द्र S/O श्री लखीराम

गांव भावड, त0 गोहाना

जिला सोनीपत 03.02.2025

मो0न0 9872090775

कार्यवाही पुलिस:- आज दिनांक 03.02.2025 को मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र जीन्द हुं कि शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र पुत्र श्री लखीराम वासी गांव भावड तहसील गोहाना जिला सोनीपत उपरोक्त ने हाजिर कार्यालय आकर एक हस्तलिखित दरखास्त बरखिलाफ उप निरीक्षक राजकुमार थाना बरोदा जिला सोनीपत बाबत मांगने रिश्त मन निरीक्षक को पेश की जिसपर मन निरीक्षक ने उच्चाधिकारियों से सम्पर्क करके हालात रेड बताए। जिसपर उच्चाधिकारियों ने तुरन्त उचित कार्यवाही अमल में लाई जाने बारे कहा, मन निरीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाह नियुक्त करने हेतु आग्रह करने पर पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल ने श्री अनिल कुमार SDO HSPCB जीन्द को रेड की कार्यवाही के लिए बतौर स्वतन्त्र गवाह नियुक्त किया और आदेशों को मेरे पास भेजा। जिसका प्रिन्ट निकालकर रखा गया और श्री अनिल कुमार SDO HSPCB जीन्द को बजरीया/टेलीफोन कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जीन्द पहुंचने बारे सुचित किया गया। दरखास्त मजबुन से सरेदस्त सुस्त जुर्म 7 P.C Act 1988 का होना पाया जाने पर तहरीर बराये कायमी मुकदमा बदस्त ई0एच0सी कृष्ण कुमार 1666/RTK के थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक भेजी जा रही है बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सुचित करे तथा मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों को भिजवायी जावे व आपके अधीन तैनात दुसरे अनुसन्धान अधिकारी को मौका पर भिजवाया जावे। तफतीशी बैग, लैपटाप, प्रिंटर, विडियो कैमरा हमरा है मन निरीक्षक दर इंतजार स्वतन्त्र गवाह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय उपकेन्द्र जीन्द हुं।

अज:-कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र जीन्द हस्ता अंग्रेजी DINESH KUMAR 03.02.25

निरीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

उपकेन्द्र जीन्द।

दिनांक 03.02.25

AT.11.15 AM

अज थाना- हस्व आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0 न0 03 दिनांक 03.02.2025 धारा 7 P.C Act 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्युटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला/ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब को बजरीया स्पेशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार

करके ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशन पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त ई0एच0सी कृष्ण कुमार 1666/रोहतक की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक पवन कुमार की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है। नोट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक में निरीक्षक दिनेश कुमार की CCTNS आई नहीं होने के कारण अनुसंधान अधिकारी CDC निरीक्षक जगजीत सिंह को दर्शाया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): JAGJEET Rank (पद): I (Inspector)
SINGH

No. (सं.): 2141SPT to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.

(आर.ओ.ए.सी.)



Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Pawan Kumar

Rank (पद): Inspector

No. 4 P

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):